



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 21.11.2021

1-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा 01 मोबाइल लूटेरा/चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सात मोबाइल फोन (अलग अलग कम्पनियो के) ,01 अवैध चाकू व 01 स्कूटी बरामद।

थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 21/11/2021 को राजकीय इण्टर कालेज सेक्टर 12 नोएडा के पास से अभि० चेतन्य रावत उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र रावत निवासी पौड़ी बस स्टैण्ड के पास थाना पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड हाल पता ग्राम खेड़ा धर्मपुरा थाना बादलपुर जिला नोएडा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी / लूट के सात कीमती मोबाइल फोन ,01 नाजायज चाकू व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी रजि नं० यूपी 14 ईवी 5697 बरामद हुए है।

### अभियुक्त का विवरण-

1.चेतन्य रावत उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र रावत निवासी पौड़ी बस स्टैण्ड के पास थाना पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड हाल पता ग्राम खेड़ा धर्मपुरा थाना बादलपुर जिला नोएडा

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु०अ०सं० 1017/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट. थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2-मु०अ०स० 1018/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण-

1.01 मोबाइल फोन ITEL रंग नीला 359196193236984, 359196193236992

2.01 मोबाइल REDMI IMEI NO. 868384058642835, 868384058642843

3.01 मोबाइल REDMI IMEI NO. 868448044113571, 86844804411358

4.01 मोबाइल VIVO रंग नीला 866472041238753 व 866472041238746

5.01 मोबाइल मोबाइल सैमसंग ग्लैक्सी ए 10 रंग ब्लू

6.01 मोबाइल सैमसंग IMEI NO. 357192/10/445718, 357193/10/445718

7.01 मोबाइल वीवो कम्पनी रंग लाईट ब्लू

8.01 नाजायज चाकू

9. एक स्कूटी न0 रजि नं0 UP14EV5697



2- थाना बादलपुर पुलिस व औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त अभियान में स्वास्थ्य/मानव जीवन को हानिकारक बॉडी बिल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली विदेशी लेबल लगाकर Steroids औषधियों व इंजेक्शन का अवैध निर्माण व पैकिंग क्रय- विक्रय करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अवैध रूप से चलायी जा रही फैक्ट्री से राँ मैटिरियल अधबनी व पूर्ण रूप से बनी विदेशी लेबल लगी औषधिया व बनाने के उपकरण व मशीनरी कीमत लगभग 2.25 करोड रू0/- व दवाईयो के परिवहन में प्रयुक्त XUV-500 कार रजि0न0 HR26DM5700 ,स्कूटी रजि0न0 UP16CV9519 बरामद व 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बादलपुर पुलिस व औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त अभियान में दिनांक 20.11.2021 को ग्राम बिश्रौली में मकान में अवैध रूप से बनायी जा रही स्वास्थ्य / मानवजीवन के लिए हानिकारक बॉडी बिल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली Steroids औषधियों व इंजेक्शन का अवैध निर्माण व पैकिंग क्रय- विक्रय करने वाले फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री से राँ मैटिरियल अधबनी व पूर्ण रूप से बनी औषधिया व बनाने के उपकरण व मशीनरी कीमत लगभग 2.25 करोड रू0/- व दवाईयो के परिवहन में प्रयुक्त XUV-500 कार रजि0न0 HR26DM5700 ,स्कूटी रजि0न0 UP16CV9519 बरामद की गयी है। मौके से औषधिया बनाते हुए फैक्ट्री संचालक सहित तीन अभियुक्तो 1.अनुज कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नारायण सिंह मकान न0 04 भूमी गोल्ड ऐविन्यू, बिश्रौली , निकट क्रिकेट स्टेडियम, छपरौला थाना बादलपुर , गौतमबुद्धनगर (फैक्ट्री संचालक ), 2. बचन कुमार पुत्र नागपाल नि0 ग्राम मिनोरा नगंली ,थाना खानपुर ,बुलन्दशहर, 3. प्रीतम उर्फ गोलू पुत्र अनिल सिंह निवासी अमोगपुर , अलीनगर , चन्दौली ,

उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर मु.अ.सं. 479/21 धारा 274/275/276/419/420/467/468/471 भादवि व 10/18ए/27 औषधि एवं प्रशासन अधि0 1940 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से तैयार की जा रही औषधिया स्वास्थ्य / मानव जीवन के लिए हानिकारक है।

### **अपराध करने का तरीका -**

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कुमार मूल रूप से जनपद वाराणसी का रहने वाला है, जिसने बायोटेक की शिक्षा ग्रहण की है। अनुज कुमार द्वारा ग्राम बिश्रौली थाना क्षेत्र बादलपुर में अपना मकान बनाकर इसी मकान में अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, अभियुक्त अनुज कुमार द्वारा इस फैक्ट्री में औषधिया व इंजेक्शन तैयार व पैक कर विदेशी कम्पनियों का लैबल लगाकर तैयार माल को सप्लाई करता है तथा इस कार्य में अनुज कुमार का सहयोग इसका साला गिरफ्तार अभियुक्त प्रीतम उर्फ गोलू करता है एवं गिरफ्तार अभियुक्त बचन कुमार विदेशी कम्पनियों के लैबल प्रिन्ट कर अनुज कुमार को उपलब्ध कराता है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. अनुज कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नारायण सिंह निवासी ग्राम बबुरी जनपद वाराणसी हालपता मकान न0 04 भूमी गोल्ड ऐविन्यू, बिश्रौली, निकट क्रिकेट स्टेडियम, छपरौला थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर
2. बचन कुमार पुत्र नागपाल नि0 ग्राम मिनोरा नगंली, थाना खानपुर, बुलन्दशहर
3. प्रीतम उर्फ गोलू पुत्र अनिल सिंह निवासी अमोगपुर, अलीनगर, चन्दौली

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0.अ.सं 479/21 धारा 274/275/276/419/420/467/468/471 भादवि व 10/18ए/27 औषधि एवं प्रशासन अधि0 1940 थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 19 गत्ते के कार्टन, 59 सफेद प्लास्टिक के बोरो मे रॉ मैटिरियल व अधबनी तथा पूर्ण रूप से तैयार Steroids औषधिया/ इंजेक्शन
2. औषधिया बनाने की मशीनरी व उपकरण
3. तैयार औषधियो व रॉ मैटिरियल व दवाईयो को लाने व ले जाने में प्रयोग किया जाने वाला वाहन XUV-500 कार रजि0न0 HR26DM5700

4. तैयार औषधियो व रॉ मैटरियल व दवाईयो को लाने व ले जाने में प्रयोग किया जाने वाला वाहन स्कूटी  
रजि0न0 UP16CV9519

